संख्या-79/2024/001-2945956(2)/12-2099/161/2024

प्रेषक,

टी0 के0 शिबु,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 02 सितम्बर, 2024

विषयः-CRM योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान संख्या-11 की लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 113-कृषि इंजीनियरी, 89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश, 8904-प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-अभि0-444/सी0आर0एम0-सामान्य-रा0/लेखा/2024-25, दिनॉक 24 जुलाई, 2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसन कृषि कर्म-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के मानक मद 27-सब्सिडी में रूपये 1905.33 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रूपये 706.00 लाख कुल धनराशि रू0 2611.33 लाख की उपलब्ध बचत से अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-113-कृषि इंजीनियरी-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8904-**प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेज्ड्यू** के मानक मद-27-सब्सिडी में रूपये 1905.33 लाख एवं 42-अन्य व्यय में रूपये 706.00 लाख कुल राज्यांश की धनराशि रू0 2611.33 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.07.2024 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
6. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, जिसका उत्तरदायित्व कृषि निदेशक का होगा।

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व प्रशासकीय विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

10. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. उक्त स्वीकृत धनराशि वित्त (आय व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार कोषागार से आहरित कर योजना के एस.एन.ए. एकाउन्ट में रखे जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

13. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय व्यक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-04/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 19,05,33,000 (रुपये उन्नीस करोड़ पाँच लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001138904 प्रमोशन ऑफ ऐग्रिकल्चरल मैकेनाइजेसन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डीयू **मानक मद** 27 सब्सिडी (*2*) रुपये 7,06,00,000 (रुपये सात करोड़ छह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001138904 प्रमोशन ऑफ ऐग्रिकल्चरल मैकेनाइजेसन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डीयू **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
टी0 के0 शिबु
विशेष सचिव।

संख्या-79/2024/001-2945956(3)/12-2099/161/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. निदेशक (आर0के0वी0वाई0), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ।

5. संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7.वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
गुन्जन दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20242025-2945956 12 2099 161 2024

विषय:- SRM योजनान्तर्जगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्यार-11 में पुनर्विनियोग के माध्यम से राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001098904 (नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सबमिशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन)	27 (सब्सिडी)	1,02,50,00,000 रुपये एक अरब दो करोड़ पचास लाख मात्र	89,83,33,000 रुपये नवासी करोड़ तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र	-19,05,33,000 रुपये उन्नीस करोड़ पाँच लाख तैंतीस हजार मात्र	190533000 -	834467000 -	2024-2025
011	2401001098904 (नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत सबमिशन आफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन)	42 (अन्य व्यय)	12,50,00,000 रुपये बारह करोड़ पचास लाख मात्र	12,10,67,000 रुपये बारह करोड़ दस लाख सड़सठ हजार मात्र	-7,06,00,000 रुपये सात करोड़ छह लाख मात्र	70600000 -	54400000 -	2024-2025

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध/ विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001138904 (प्रमोशन ऑफ ऐग्रिकल्चरल मैकेनाइजेसन फॉर इन सीट्र मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डीयू)	27 (सब्सिडी)	0 शून्य	19,05,33,000 रुपये उन्नीस करोड़ पाँच लाख तैंतीस हजार मात्र	190533000 -	190533000 -	2024-2025
011	2401001138904 (प्रमोशन ऑफ ऐग्रिकल्चरल मैकेनाइजेसन फॉर इन सीट्र मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्डीयू)	42 (अन्य व्यय)	0 शून्य	7,06,00,000 रुपये सात करोड़ छह लाख मात्र	70600000 -	70600000 -	2024-2025

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-4 में अंकित वचत निम्नलिखित कारणों से है:-

अ- प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार-इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजिड्यू योजना का संचालन सब मिशन आन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन से अलग किये जाने के कारण वचत है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

ब- प्रमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार-इन-सीटू मैनेजमेन्ट आफ क्राप रेजिड्यू योजना का संचालन नवसृजित लेखाशीर्षक अन्तर्गत किये जाने के फलस्वरूप राज्यांश का प्रावधान कराये जाने के कारण।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

बजट-1-39 दि0 22-8-2024

संख्याः आर ई-<1>-2024-25, दिनांक-21अगस्त, 2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

Gunjan Dubey

(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

Signed by
Dr. Ramesh Chandra Tiwari
Date: 21-08-2024 18:47:44
उप सचिव।

संख्या : 2945956 12 2099 161 2024 दिनांक- अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- एजेन्ट महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Gunjan Dubey

(गुन्जन दुबे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।